

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान रिछपाल सिंह बनाम मलकीत सिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 3 सन 2004/आरसीएमएस नं. 2004/00021

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने धारा आदेश 41 नियम 41 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र का प्रार्थना-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र की नकल वकील रेस्पोंडेंट को दिलवाई गई उभयपक्ष प्रार्थना-पत्र पर सुना गया।</p> <p>वकील अपीलाण्ट प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत अपील 90/2003 मलकीतसिंह बनाम मखन सिंह आदि में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2003 अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या 8 भूरो पुत्री बलवीरसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 772/04 शीर्षक भूरा बनाम मलकीत सिंह आदि प्रस्तुत की थी जो दिनांक 23.05.2007 को स्वीकार फरमाई जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2003 अपास्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। उक्त द्वितीय अपील कालान्तर में रेस्टोर होकर पुनः सुनवाई में है। यह कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या 772/04 के अंतिम निर्णय तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र को साईं डाई किया जावे।</p> <p>रेस्पोंडेंट/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र खारिज करने का कथन किया।</p> <p>उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>प्रश्नगत अपील 90/2003 मलकीतसिंह बनाम मखन सिंह आदि में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.08.2003 अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या 8 भूरो पुत्री बलवीरसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 772/04 शीर्षक</p>	

Law

भूरा बनाम मलकीत सिंह आदि प्रस्तुत की थी जो दिनांक 23.05.2007 को स्वीकार फरमाई जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2003 अपास्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। उक्त द्वितीय अपील कालान्तर में रेस्टोर होकर पुनः सुनवाई में है। यह कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष लम्बित द्वितीय अपील संख्या 772/04 के अंतिम निर्णय तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र में कार्यवाही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित की जाती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के उपरान्त यह पत्रावली पुनः नंबर पर ली जावे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

lewo
01/11/22